राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.12(2)वन/2004 जयपुर, दिनांक 2 0 APR 2011

## स्थानांतरण/ पदस्थापन नीति

राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधिनस्थ वन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों तथा वन विभाग के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन /स्थानान्तरण बाबत निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

### 1. पदस्थापन

1.1 प्रत्येक अधिकारी/ कार्मिक की एक पद विशेष पर पदस्थापन की न्यूनतम अवधि दो वर्ष होगी। अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण बाबत् निर्धारित विशेष परिस्थितियों की स्थिति में ही अन्यत्र पदस्थापित किया जा सकेगा।

1.2 अधिकारी / कार्मिक के किसी एक पद विशेष पर पदस्थापन की अधिकतम अवधि पॉच वर्ष होगी।

1.3 राजपत्रित अधिकारी एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :

(i) गृह जिले से तात्पर्य निम्नानुसार होगा :–

(क) राजपत्रित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जिला।

(ख) अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त), मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में प्रथम नियुक्ति का जिला।

(ii) वन विभाग के राज्य स्तरीय मुख्यालय में सृजित पदों पर पदस्थापन के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

1.4 राजपत्रित अधिकारी को सेवानिवृत्ति समयावधि दो वर्ष से कम रहने की स्थिति में उसके द्वारा प्रार्थित जिले में (गृह जिले को छोड़कर) पदस्थापित किये जाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावेगा।

1.5 अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त) के कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों को यथासम्भव उनकी प्रथम नियुक्ति वाले जिले से अन्यत्र जिले में पदस्थापन स्थानान्तरण संबंधी नीतिगत व्यवस्था के अनुसार ही [illegible] किया जा सकेगा।

1.6 किसी भी अधिकारी/कार्मिक को ऐसे पद पर जिस पर वह पूर्व में पदस्थापित रह चुका है, उसे यथासम्भव पुनः पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

1.7 राजपत्रित अधिकारियों को सेवानिवृत्ति समयावधि दो वर्ष रहने पर फील्ड में पदस्थापन नहीं किया जायेगा।

1.8 वन रक्षक, सहायक वनपाल एवं वनपाल को एक ही रेंज में लगातार पांच वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रखा जा सकेगा एवं उसी रेंज में दुबारा पदस्थापन न्यूनतम पांच वर्ष के अंतराल के बाद ही किया जा सकेगा।

1.9 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत दण्डित अधिकारियों / कार्मिकों को तीन वर्ष तक फील्ड पोस्टिंग के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

1.10 जिन अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अधीन Prosecution Sanction का प्रकरण विचाराधीन हो या Prosecution Sanction दे दी गयी हो, उन्हें फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

1.11 जो अधिकारी /कार्मिक 3 वर्ष से लगातार नॉन फील्ड कार्यालयों में पदस्थापित रहे हैं, उन्हें फील्ड पोस्टिंग में पदस्थापन करने के लिए वरीयता दी जायेगी।

1.12 सहायक वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक जो लगातार 10 साल में से 7 साल से फील्ड में पदस्थापित हैं, उन्हें नॉन फील्ड में पदस्थापित किया जायेगा।

1.13 वन्यजीव प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों को यथा सम्भव वन्यजीव प्रभाग के पदों पर ही पदस्थापित किया जायेगा।

1.14 पदोन्नति पर पदस्थापन करते समय प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी का मुख्यालय अवश्य परिवर्तित किया जायेगा।

1.15 नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदी परियोजना के अंतर्गत एक बार पदस्थापित रह चुके गैर अभियंता/तकनीकी संवर्ग के भू-संरक्षण अधिकारी व अन्य अधीनस्थ सेवा के कार्मिकों को दुबारा ऐसी परियोजना में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

1.16 मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के पदस्थापन में इस प्रकार की व्यवस्था की जावेगी (रोटेट किया जावेगा) कि प्रत्येक कार्मिक को हर प्रकार के कार्यों के निष्पादन का अनुभव प्राप्त हो सके।

1.17 यदि पति-पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हों तो उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में यथा सम्भव एक ही स्थान पर पदस्थापित रखा जावेगा।

1.18 मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिक को भण्डारपाल अथवा निरंतर 3 वर्ष से अधिक अवधि हेतु पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

## 2. स्थानान्तरण

किसी भी अधिकारी/कार्मिक को दो वर्ष से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ही स्थानान्तरण किया जावेगा:-

2.1 पदोन्नति या पदावनति होने पर ।

2.2 कार्य/आचरण बाबत शिकायत प्रथमदृष्टया सही पाये जाने पर।

2.3 प्रशंसनीय कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप अधिकारी/कार्मिक को प्रोत्साहित करने के लिए उसके आवेदन पर।

2.4 रिक्त पद भरने के लिए प्रशासनिक आवश्यकता उत्पन्न होने पर।

2.5 पद समाप्त हो जाने पर।

2.6 सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम की अवधि शेष रहने पर,यदि अधिकारी/कार्मिक द्वारा आवेदन किया जाता है।

2.7 अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त) के कार्मिक को उसके प्रथम नियुक्ति के जिले से अन्य जिले में निम्न परिस्थितियों में ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा:—

(क). उसके द्वारा आवेदन किये जाने पर वशर्ते उसी संवर्ग में रिक्त पद उपलब्ध हो एवं कार्मिक के पदस्थापन से संबंधित जिले में प्रचलित रोस्टर में आरक्षण की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता हो।

(ख). कार्य / आचरण बाबत प्रथम दृष्टया विश्वसनीय शिकायत पर।

(ग). रिक्त पद भरने के लिए अत्यावश्यक प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न होने पर वशर्ते पदोन्नति संबंधी रोस्टर दुष्प्रभावित नहीं होता हो।

2.8 ड्राइवर तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारियों पारस्परिक स्थानान्तरण संबधित कर्मचारियों के द्वारा आवेदन पत्र देने की अवस्था में हो सकेंगे।

## 3. स्थानान्तरण की सक्षमता :

विभिन्न स्तर के अधिकारीयों / कार्मिकों का स्थानान्तरण आदेश प्रचलित किये जाने हेतु सक्षमता निम्नानुसार होगी :—

| क्र. | नाम सेवा | नाम पद | स्थानान्तरण आदेश प्रचलित किये जाने हेतु सक्षम स्तर |
|---|---|---|---|
| 1 | राजस्थान वन सेवा | सभी पद | राज्य सरकार में प्रशासनिक विभाग वन विभाग के स्तर से |
| 2 | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा | क्षेत्रीय प्रथम | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे। |
| 3 | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा | क्षेत्रीय द्वितीय | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज० जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे। |
| 4 | राजस्थान वन अधीनस्थ | भू संरक्षण सहायक, कनिष्ठ अभियंता, ओवरसियर, सर्वेयर, | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सेवा | अधीन, निरीक्षक, ड्राफ्टमैन, वाहन चालक, खाद अवलोकक एवं विश्लेषक | अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक के तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर द्वारा प्रचलित किये जावेंगे। |
| 5 | राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा | वन अधीनस्थ सेवा के उपरोक्त क्रमांक 3, 4, 6 के अतिरिक्त अन्य पद | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश उक्त दोनों कार्यालयों के नियंत्रण /उच्च अधिकारी द्वारा प्रचलित किये जावेंगे। |
| 6 | मंत्रालयिक सेवा | कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर |
| 7 | मंत्रालयिक सेवा | शीघ्रलिपिक, वरिष्ठ/कनिष्ठ लिपिक | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक तथा सभी मुख्य वन संरक्षक अपने क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से दूसरे प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा एक मुख्य वन संरक्षक से दूसरे मुख्य वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर के स्तर से प्रचलित किये जावेंगे। |
| 8 | चतुर्थ श्रेणी संवर्ग | सभी संवर्ग | सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश प्रचलित कर सकेंगे। एक कार्यालयाध्यक्ष से दूसरे कार्यालयाध्यक्ष के क्षेत्र में स्थानान्तरण आदेश उक्त दोनों कार्यालयों के नियंत्रण/उच्च अधिकारी द्वारा प्रचलित किये जा सकेंगे। |

## 4. स्थानान्तरण के लिये आवेदन की व्यवस्था :

4.1 स्थानान्तरण के इच्छुक कर्मचारी इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि में आवेदन सक्षम अधिकारी को निर्धारित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

4.2 प्राप्त आवेदनों पर विभाग में उपलब्ध रिक्तियों एवं राज्यकर्मी की कार्य दक्षता एवं उपर वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखकर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लिया जावेगा।

4.3 जिन प्रकरणों में पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उनमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को भेजेंगे।

4.4 यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश से पीड़ित हो तो वह आदेश जारी की तिथि से 15 दिवस की अवधि में राज्य सरकार/सम्बन्धित अधिकारी को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

## 5. स्थानान्तरण का समय :

5.1 सामान्यतः प्रतिवर्ष स्थानान्तरण का कार्य 15 अप्रेल से 31 मई तक पूर्ण कर लिया जावे।

5.2 इसके उपरान्त स्थानान्तरण विशिष्ट परिस्थितियों तथा पदों की समाप्ति, शिकायतन, विशिष्ट पदों को भरने एवं अन्य विशिष्ट कारण अंकित करते हुये ही सक्षम अधिकारी से उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

5.3 1 जून से 30 सितम्बर तक वृक्षारोपण मौसम के दौरान विभाग में पौधारोपण से संबंधित स्टाफ के स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से स्थाई प्रतिबन्ध रहेगा।

5.4 प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष समाप्ति के समय फरवरी, मार्च में भी विशिष्ठ परिस्थिति में ही स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

## 6. विशेष परिस्थितियों में छूट :

6.1 स्वयं या परिवार के सदस्यों की असाध्य बीमारी के ईलाज की आवश्यकता या ऐसी विशेष परिस्थिति जिसमें सहानुभूति पर आधारित पदस्थापन/स्थानान्तरण अपेक्षित हो, इस नीति की व्यवस्था में छूट देते हुए स्थानान्तरण/ पदस्थापन किया जा सकेगा।

6.2 राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवश्यकता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।

यह नीति आदेश प्रचलित होने की तिथि से बाद जारी होने वाले स्थानान्तरण आदेशों के लिये प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

ह०
(सीमा सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, वन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त वनाधिकारी मार्फत प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
7. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

FINAL_TRANSFER_POLICY_revised_1FEB

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांकः प.12(2)वन/2004 जयपुर, दिनांकः 13 SEP 2012

No. 3235
Date 14/9/12

## संशोधित आदेश –स्थानान्तरण / पदस्थापन नीति

राजस्थान राज्य वन सेवा एवं राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों/कार्मिकों तथा वन विभाग के अधीन कार्यरत मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिक के पदस्थापन/स्थानान्तरण बाबत् जारी स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2011 में बिन्दु संख्या 1.3 को निम्नानुसार विस्थापित किया जाता है :–

1.3–राजपत्रित अधिकारी एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारी को उसके गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

स्पष्टीकरण :

(i) गृह जिले से तात्पर्य निम्नानुसार होगा :–

(क) राजपत्रित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय द्वितीय संवर्ग के कार्मिकों के संदर्भ में अधिकारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जिला।

(ख) अधीनस्थ वन सेवा (क्षेत्रीय प्रथम व द्वितीय के अतिरिक्त), मंत्रालयिक संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिक के संदर्भ में प्रथम नियुक्ति का जिला।

(ii) वन विभाग के राज्य स्तरीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों/संभागीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) कार्यालयों/वानिकी प्रशिक्षण/अनुसंधान कार्यालय में सृजित पदों पर पदस्थापन के लिए निम्न शर्तों के अधीन यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा:–

(क) गृह जिले में पदस्थापित होने वाले अधिकारी/कार्मिकों की संख्या उस जिले में कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ख) गृह जिले में पदस्थापन हेतु सर्वप्रथम वरिष्ठता, उसकी गत 5 वर्षों की सेवा प्रतिवेदन रिपोर्ट (जिसमें कम से कम 4 ए.सी.आर. उत्कृष्ट / बहुत अच्छा होना आवश्यक होगा) तथा इसके अलावा चिकित्सा/पारिवारिक विषमताओं के आधार पर ही स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(ग) गृह जिले में पदस्थापन का अधिकार प्रशासनिक विभाग को रहेगा कि प्रकरण दर दर (case by case) आधार पर आवेदनों में से निर्धारित किया जावेगा।

आज्ञा से,
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, मा. वन मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव